प्रकरण संख्या :—28 / 2021 (2021 / 46) दर्ज दिनांक 27.01.2021

वाद अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

1. जगदीश चन्द्र आत्मज शंकरलाल जाट
2. नंदराम आत्मज किशना जाट
3. पुष्पा पुत्री हरलाल जाट
4. बद्रीलाल आत्मज हरलाल जाट
5. भंवरलाल आत्मज किशना जाट
6. लीला पुत्री शंकरलाल जाट
7. सोहनी पुत्री शंकरलाल जाट

सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. कमला पुत्री लालुराम जाट
2. नानी पुत्री लालुराम जाट
3. रूकमण पुत्री लालुराम जाट
4. शांति पुत्री लालुराम जाट
5. सुन्दर पुत्री लालुराम जाट
6. बाली पुत्री लेहरू जाट
7. मांगीलाल आत्मज लेहरू जाट
8. रतन आत्मज बिहारी जाट
9. रमेशचन्द्र आत्मज लेहरू जाट
10. सुशीला पुत्री लेहरू जाट
11. घनश्याम आत्मज हरू जाट
12. नारायणलाल आत्मज हरू जाट
13. बरदीदेवी पत्नि हरू जाट
14. मदनलाल आत्मज हरू जाट
15. राजु आत्मज हरू जाट
16. उदयराम आत्मज लालु गाडरी
17. किशना उर्फ काना आत्मज गुलाब गाडरी
18. किशोर आत्मज भुरा गाडरी
19. चांदी पुत्री गुलाब गाडरी
20. प्यारचन्द आत्मज मांगु गाडरी
21. बाली पुत्री मांगु गाडरी
22. भुरी पत्नि मांगु गाडरी
23. शंकरलाल आत्मज लालु गाडरी
24. शोभालाल आत्मज हाथीलाल कोठारी
25. हीरालाल आत्मज लालु गाडरी
26. किशनलाल आत्मज खेमा गाडरी
27. नर्बदा पुत्री नारायण गाडरी
28. पन्नालाल आत्मज सवाईराम गाडरी
29. बेणीराम आत्मज माला गाडरी
30. बदामी पत्नि नारायण गाडरी
31. भैरू आत्मज जीतु जाट

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

32. भारमल आत्मज किशना गाडरी
33. रामा आत्मज हजारी गाडरी
34. सुन्दर पत्नि नारायण गाडरी
35. सीमा पुत्री नारायण गाडरी
36. हीरा आत्मज किशना गाडरी
37. गीता पुत्री श्रीकिशन जाट
38. प्रेम पुत्री श्रीकिशन जाट
39. बदामी पुत्री श्रीकिशन जाट
40. भंवर आत्मज श्रीकिशन जाट
41. अकीलाबानु पुत्री बशीर खां मुसलमान
42. अकीला पुत्री रणजीत खां मुसलमान
43. अजीजन आत्मज अकबरखां मुसलमान
44. अमीर मोहम्मद आत्मज रणजीत खां मुसलमान
45. आबिद आत्मज अब्बास खां मुसलमान
46. आमना पुत्री अब्बास खां मुसलमान
47. कंचन पुत्री अकबर खां मुसलमान
48. करीमन पुत्री अकबर खां मुसलमान
49. खेरून आत्मज रणजीत खां मुसलमान
50. चांदबाई पत्नि अकबर खां मुसलमान
51. छुमाबेगम पत्नि बशीर खां मुसलमान
52. बशीरन बेगम पत्नि रणजीत खां मुसलमान
53. बानो पुत्री सरदार खां मुसलमान
54. बाबु खां आत्मज रणजीत खां मुसलमान
55. बाबुरसदी आत्मज अकबर खां मुसलमान
56. मीर मोहम्मद आत्मज अकबर खां मुसलमान
57. मोहम्मद हुसैन आत्मज सरदार खां मुसलमान
58. रणजीत खां आत्मज अकबर खां मुसलमान
59. शकील मोहम्मद आत्मज बशीर खां मुसलमान
60. शकील मोहम्मद आत्मज बशीर खां मुसलमान
61. शकीला बानु पुत्री बशीर खां मुसलमान
62. शमीम पुत्री अकबर खां मुसलमान
63. शरीफन पुत्री सरदार खां मुसलमान
64. शहजाद बानु पुत्री अब्बास खां मुसलमान
65. शौकत मोहम्मद आत्मज अकबर खां मुसलमान
66. सदाम मोहम्मद आत्मज बशीर खां मुसलमान
67. समशेर आत्मज अब्बास खां मुसलमान
68. समीमबानु पुत्री अब्बास खां मुसलमान
69. सायरा बेगम पत्नि अब्बास खां मुसलमान

सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

उपस्थिति— अधिवक्ता प्रार्थीगणः— श्री जगदीश चन्द्र चौधरी

2.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

:: **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956** ::

निर्णय दिनांकः—10.08.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1027 रकबा 0.07 हे0, 1099 रकबा 0.26 हे0, 1100 रकबा 0.43 हे0, 1101 रकबा 0.19 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 0.95 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 737 पर दर्ज होकर स्थित हैं। जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 48, 50, 52, 53, 55 लगायत 61, 64, 65, 67 लगायत 69 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षीगण संख्या 49, 51, 54, 62, 63, 66 के विरूद्ध प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कोई दाद नहीं चाही गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना व पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं कर ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1027 रकबा 0.07 हे0, 1099 रकबा 0.26 हे0, 1100 रकबा 0.43 हे0, 1101 रकबा 0.19 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 0.95 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 737 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450 / — (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450 / — (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 3.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा